

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *42
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी संबंधी राष्ट्रीय नीति

*42. श्री सुनील कुमार सिंह :

श्री पी. पी. चौधरी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार द्वारा मुकदमेबाजी संबंधी नई राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है ;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति के विचारार्थ विषयों और उपबंधों की व्यापक रूपरेखा क्या है ;
(ग) क्या नई नीति को कार्यान्वित किए जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) सरकार का विचार उक्त नीति को किस प्रकार कार्यान्वित करने का है ; और
(ङ) सरकार द्वारा मुकदमेबाजी (लिटिगेशन) के मामलों में कमी लाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० *42, जिसका उत्तर 4 फरवरी, 2022 को दिया जाना है, के संबंध में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : जी, हां । सरकार की नीति और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुकद्दमेबाजी को, संसक्तिशील और संगठित रीति में, रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित करने के उद्देश्य से, मुकद्दमा नीति के तैयार किए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) : रेल और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय और विभाग जो मुकद्दमेबाजी की अधिक संख्या में अंतर्वलित हैं, न्यायालय मामलों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करते रहे हैं । रेल मंत्रालय ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों की प्रभावी मानीटरी के लिए अनुदेश जारी किए हैं । आंचलिक रेल और उत्पादन इकाइयों से यह कहा गया है कि उन मामलों की संख्या को कम करने के लिए जिनमें सरकार एक पक्षकार है और शीघ्र ही न्यायालयों के बोझ को कम करने में सभी न्यायालयों में सभी मामलों को शीघ्रतया अंतिम रूप देने और न्यायालय मामलों को लड़ने में खर्च में कटौती करने के लिए प्रभावी कदम उठाए । इसको प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं को समय पर उत्तर, प्रत्युत्तर तथा आवश्यक दस्तावेज प्रतिप्रस्तुति के अलावा उच्च स्तर पर ब्रीफिंग तथा दिए जाने वाले आवश्यक निर्देशों के लिए, पैनलीकृत अधिवक्ताओं के साथ नियमित बैठकें करके मामलों की प्रभावी मॉनीटरी पर जोर दिया गया है ।

राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भारी संख्या में अनुदेश जारी किए हैं और न्यायालयों पर मुकद्दमेबाजी को तथा उसके पारिणामिक भार को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । जबकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह निदेश देते हुए परिपत्र जारी किए हैं कि आय-कर अपील अधिकरणों/उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष की विनिर्दिष्ट सीमा से कम की कर प्रभाव वाली लंबित अपीलों को वापस लिया जाए/उन पर कार्रवाई न की जाए और प्रक्रिया में उच्च मांग वाली मुकद्दमेबाजी पर बेहतर और सम्मिलित संकेंद्रण को सुकर बनाया जाए । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्र अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलों मात्र इस कारण से फाइल नहीं की जानी चाहिए कि किसी विशिष्ट मामले में कर प्रभाव विहित मौद्रिक सीमाओं से अधिक है, और अपील फाइल किए जाने का विनिश्चय सर्वथा मामले के गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्र विरचनाओं को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे उच्च न्यायालयों/सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों को वहां वापस ले लें, जहां उच्चतम न्यायालय ने समरूप विषय पर विनिश्चय किया है । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने अपनी क्षेत्र विरचनाओं को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपील में वहां और प्रतिवाद न करें, जहां अपीलों के दो प्रक्रमों में मुद्दे को हार गए हैं । तथापि, यह विनिश्चय किया गया है कि उन मामलों में, जहां यह महसूस किया गया है कि मुद्दा आगे अपील करने के लिए उपयुक्त है, वहां उचित औचित्य पर और क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त के अनुमोदन पर, तीसरी बार अपील फाइल की जा सकती है । क्षेत्र विरचनाओं को, केवल उन विशेष इजाजत याचिका प्रस्तावों को वहां अग्रेषित करने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं, जहां मुद्दे में विधि का सारवान् प्रश्न या घोर दुराग्रह या साक्ष्य के मूल्यांकन में अवैधता अंतर्वलित है ।

इस दशा में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, दोनों ने अपील फाइल करने की मौद्रिक अवसीमा को भी बढ़ाया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अपील फाइल करने के लिए	मौद्रिक सीमा
आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष	50 लाख रुपए
उच्च न्यायालय के समक्ष	1 करोड़ रुपए
उच्चतम न्यायालय के समक्ष	2 करोड़ रुपए

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

निम्नलिखित के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं			निम्नलिखित के समक्ष सीमा शुल्क से संबंधित मामलों में अपीलें फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमाएं		
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष	उच्च न्यायालय के समक्ष	उच्चतम न्यायालय के समक्ष
50 लाख रुपए	1 करोड़ रुपए	2 करोड़ रुपए	5 लाख रुपए	10 लाख रुपए	25 लाख रुपए

भारत संघ की मुकद्दमेबाजी को मानीटर करने के प्रयोजन के लिए, वर्ष 2016 में एक वेब प्लेटफार्म, अर्थात् विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्बस) सृजित की गई थी। लिम्बस वर्जन-2 लिम्बस को एप्लीकेशन में तत्कालिक विद्यमान प्रौद्योगिकीय अंतर को पाटने के लिए वर्ष 2019 में आरंभ किया गया है। लिम्बस वर्जन-2 का विजन भारत सरकार के संपूर्ण मंत्रालयों/विभागों में 'मुकद्दमेबाजी की मानीटरी के लिए समकालिक व्यवस्था की स्थापना के साथ भारत सरकार के मुकद्दमेबाजी के लिए एकल प्लेटफार्म के रूप में' है। वर्तमान में, 7.95 लाख मामले (पुरालेख मामले सहित), जिनमें 57 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रविष्ट किए गए 5.88 लाख जीवंत/लंबित मामले भी हैं। इसमें 1,6055 पदाधिकारियों/उपयोक्ताओं और 20,000 से अधिक अधिवक्ताओं का एकल डाटाबेस है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सिवाय, सभी उच्च न्यायालयों ने लिम्बस वर्जन-2 के साथ उच्च इन उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की मानीटरी को सुकर बनाने के लिए एकीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास डाटाबेस का लिंकेज लिम्बस कार्यान्वयन के भाग के रूप में प्रकल्पित है। विधि सचिव ने, अर्द्धशासकीय पत्र तारीख 20-11-2020 द्वारा, तारीख 16.03.2021 और 09.07.2021 के अनुस्मारकों का अनुसरण करते हुए इस मामले को उठाया है कि संबंधित अधिकरणों के अध्यक्ष और मंत्रालयों/विभागों के सचिव के साथ एपीआई के माध्यम से लिम्बस वर्जन-2 के साथ इन अधिकरणों के डाटा के लिए अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों को अनुज्ञा प्रदान करें। वर्तमान में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण तथा विद्युत अपील अधिकरण ने लिम्बस वर्जन-2 के साथ अपने डाटाबेस को एपीआई लिंकेज उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, रेलवे दावा अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के मामलों के डाटाबेस का त्वरित निपटान एकीकरण लिम्बस के साथ परिकल्पित है।

अंतर-मंत्रालययी/विभागीय विवादों के समाधान के लिए अनुकल्पी तंत्र और ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थित तंत्र का उपबंध करने के लिए, अर्थात् विवाद समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) विधि कार्य विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन तारीख 31-03-2020 द्वारा बनाया गया था । यह तंत्र, जो कराधान विवादों से भिन्न, विवादों को लागू होता है, न्यायालयों में मुकद्दमेबाजी को वहां कम करेगा और न्यायालय प्रणाली से बाहर मामलों का वहां समाधान करेगा, जहां दोनों पक्षकार सरकारी विभाग हैं या जहां एक पक्षकार सरकारी विभाग है और दूसरा पक्षकार इसका करणकारक (सीपीएसई/बोर्ड/प्राधिकरण इत्यादि) है ।

केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों तथा सरकारी विभागों/संगठनों के बीच परस्पर वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए पूर्व की स्कीम 'माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र' के स्थान पर, लोक उद्यम विभाग द्वारा विकसित एक नई स्कीम अर्थात् "सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी)" को तारीख 22.05.2018 से प्रभावी किया गया है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को, वर्ष 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व-मध्यकता संस्थन और समाधान (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, कोई ऐसा पक्षकार, जो 3 लाख रुपए और उससे अधिक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु में कोई अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष को अनुध्यात नहीं करता है, न्यायालय में पहुंचने से पूर्व, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा संचालित की जाने वाली पीआईएमएस के उपाय को पहले निःशेष करेगा ।

इसके अतिरिक्त, मध्यकता के वैकल्पिक विवाद प्रतितोष तंत्र के माध्यम से न्यायालय प्रणालियों से बाहर, विवादों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ पक्षकारों द्वारा मुकदमापूर्व मध्यकता प्रदान करने के लिए मध्यकता विधेयक, 2021, राज्य सभा में लंबित है ।
